राजर्षी छत्रपति शाहु महाराजाकी पर्यावरण विषयक विचारधारा

डॉ. महेंद्रकुमार आ. जाधव प्रोफेसर एवंम समाजशास्त्र विभाग अध्यक्ष नाइट कॉलेज ऑफ आर्टस ॲण्ड कॉमर्स, कोल्हापुर महाराष्ट्र

प्राक्कथन

आज वैश्विक स्तर पर एक समस्या दिनों-दिन गंभीर बनती जा रही है, परिणामस्वरूप हमारी धरती धोके के एक कगार पर खड़ी है। यह वैश्विक स्तर की गंभीर समस्या है- पर्यावरण संबंधी समस्या। मानव जब तक प्राकृतिक रूप से जीवन जी रहा था, तब तक प्रकृति का समतोल कायम था। उस दौरान पर्यावरण में प्रकृति के सभी घटक उचित मात्रा में मौजूद थे। मानवी छेड़छाड़ से पर्यावरण पर ज्यादा असर नहीं हुआ था। इसलिए प्रकृति के सभी स्तर पर पर्यावरण की स्तरीयता अच्छी थी। लेकिन जैसे-जैसे विज्ञान का विकास होता गया, वैसे-वैसे मनुष्य को संशोधनात्मक परिणामों जरूरत महसूस होने लगी। मनुष्य धीरे-धीरे प्रकृति से दूर जाने लगा। विज्ञान के जरूरत से ज्यादा उपयोग के चलते मानव स्वास्थ्य का समतोल ढलने लगा। प्रकृति का प्राकृतिक स्वरूप नष्ट होकर उसकी जगह कृत्रिमता ने ली। शुरू में पर्यावरण की समस्या इतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन धीरे-धीरे मानवी हस्तक्षेप और स्वार्थी प्रवृत्ति के चलते पर्यावरण समस्या गंभीर होती गई। आज इस समस्या ने वैश्विक रूप धारण किया है।

अनुसंधान पध्दति

संबंधित अनुसंधान पर आलेख दोयम साधन-सामग्री पर आधारित है। इसमें प्रमुख रूप से कोल्हापुर गैजेटियर, महाराष्ट्र शासन प्रकाशित शाहु महाराजा पर गौरव ग्रंथ, अन्य मशहूर साहित्यकार, विशेषज्ञ लेखकों के ग्रंथ आदि का उपयोग किया गया है।

उद्देश्य

1. महाराजा शाहु के पर्यावरण संबंधी दृष्टि का अध्ययन करना।
2. शाहुजी के खेती विषयक दृष्टिकोण जानना।
3. जल संवर्धन, जंगल संवर्धन के बारे में छत्रपति शाहुजी के विचार जानना।

शाहु महाराजा का पर्यावरण विषयक कार्य

महाराजा शाहु ने अपनी 48 साल की आयु में 28 साल राज्य का कारोबार सँभाला। कोल्हापुर रियासत की प्रजा को उनकी राज-पध्दति आदर्श लगी। इसका महत्त्वपूर्ण कारण है कि उन्होंने अपनी प्रतिमा 'प्रजाहित दक्ष राजा' के रूप में रखने का हमेशा प्रयास किया। खेती के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है। इसलिए जल सर्वेक्षण किया। कई छोटे-बड़े बांध का निर्माण किया। 'राधानगरी' जैसी महत्त्वपूर्ण जल परियोजना का अंमल किया। जंगल वन्यजीवों के लिए आरक्षित रखे। जंगलों की सुरक्षा के लिए करवीर रियासत में विशिष्ट नियम तैयार किए। सन् 1900 में पेड़ों के संवर्धन के संदर्भ में घोषणापत्र निकाला। वनौषधी और बोटैनिकल गार्डन को प्रोत्साहन दिया। पंचगंगा नदी और रंकाला तालाब में कपड़े धोने को प्रतिबंध किया। सार्वजनिक सिंचाई नीति, रियासत में कृषि, उद्योग, व्यापार, आवाजाही, सहकारिता के विकास के लिए कृतिशील कार्य किया। शाहु महाराजा ने अपनी सल्तनत में पेड़ संवर्धन के संदर्भ में, जंगल व्यवस्था के संदर्भ में प्राणियों के बारे में साथही जल प्रबंधन के बारे में अनेक पर्यावरणपूरक हुक्म जारी किए थे।

1. पर्यावरण अनुकूल कृषि विषयक विचार

राजर्षी शाहु महाराजा को किसान और खेती के प्रति बहुत लगाव था। कोल्हापुर परिसर में खेती का पर्यावरण अनुकूल विकास करने का उन्होंने योजनापूर्वक प्रयास किया। कोल्हापुर परिसर में हुए हरितक्रांति महाराज के प्रयास के चलते हुई है। उस काल में हमेशा निर्माण होनेवाली सूखे की स्थिति से कृषि पर निर्भर किसानों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती थी। उन्होंने अनाज और घास आपूर्ति कर किसानों को राहत देने का कार्य किया। सूखी-पीड़ित स्थिति से स्थायी रूप से निजात पाने के लिए सन 1902 में 'सार्वजनिक सिंचाई नीति'घोषित की। इस नीति का अमल करने के लिए स्वतंत्र 'सिंचाई विभाग' निर्माण किया। इस विभाग के लिए सिंचाई अधिकारी की नियुक्ति की। संबंधित विभाग के माध्यम से कुएँ की मरम्मत और देखभाल, बांध और बराज की नियमों के अनुसार पंजीयन किया गया। जहाँ संभव वहाँ मरम्मत के काम शुरू किए गए। बारिश का पानी रोकना, भंडारण करना, उसका खेती के लिए उपयोग करना आदि पर्यावरणपूरक कामों पर जोर दिया गया।

2. जंगल वन्यजीवों के लिए आरक्षित रखे

शाहु महाराजा को प्राणियों के प्रति विशेष लगाव था। उन्होंने कोल्हापुर परिसर में 'शिवारण्य' नामक अभयारण्य निर्माण किया। इस शिवारण्य अभयारण्य में हाथियों का पालन-पोषण और उनकी पैदास का अनोखा सफल प्रयोग किया था। इस अभयारण्य के हाथी मनुष्य-बस्ती में न आए इसलिए अभयारण के चारों ओर से गहरी खाई बनाई थी। आज भी वहाँ यह खाई दिखाई देती है। साथही इस अभयारण में वन्य-प्राणियों को पानी पीने के लिए बढ़िया तालाब भी बनाया था।

इसके साथही उन्होंने जंगल के लिए कुछ जमीन आरक्षित रखी थी। जरूरत पड़ने पर जंगल क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रजा की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इस अधिग्रहण किए जमीन के मुआवजे के रूप में दूसरी जमीन या नगद रूप से मुआवजा दिया गया था। किसी भी काम के लिए जमीन का संपादित करनी हो तो पहले किसानों को मुआवजा देकर ही संपादित करें यह महाराजा का नियम ही था। जंगल क्षेत्र बढ़ाने और वहाँ के प्राणियों की रक्षा करने का पर्यावरणपूरक काम उन्होंने बहुत जी लगाकर किया। मौजे जेढयल पेटा गढ़हिंग्लज और मौजे मानवले, पेटा भुदरगढ़ में जंगल को सटकर होनेवाले लोगों की जमीन जंगल में शामिल कर उन्हें उसके बदले में में कॉम्पेनसेशन दिया गया था। महाराजा ने सन् 1898 में मौजे अतिग्रे स्थित करीब 125 एकर 16 गुंठा जमीन जंगल में शामिल करने के बारे में हुक्म दिया था। इस हुक्म में महाराजा कहते हैं, संबंधित जमीन जंगल में शामिल करने से अच्छा ब्लॉक लेकर पेड़ का संवर्धन अच्छा होगा। इतना बड़ा उदार हेतु महाराज का था।

3. करवीर सल्तनत में जंगल सुरक्षा के लिए नियमावली

शाहु महाराजा ने 24 अगस्त 1895 में जंगल सुरक्षा के संदर्भ में अध्यादेष जारी किया था। इसमें फॉरेस्ट धारा 10 के अनुसार शाहु महाराज ने जंगल सुरक्षा और संवर्धन के लिए दो विभाग बनाए थें। इसमें 1. आरक्षित जंगल और 2. संरक्षित जंगल इसप्रकार दो प्रकार थे।

1) आरक्षित जंगल

इस क्षेत्र में फॉरेस्ट अफसर के अनुमति के बिना कोई भी, किसी भी काम के लिए जंगल में प्रवेश न करें, लेकिन ऐसे जंगल से आवाजाही के रास्ते हो तो उस रास्ते से आवाजाही के लिए प्रतिबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त जंगल सिवाय अन्य जगहों पर जानवार आदि को पीने के लिए पानी नहीं है तो उस जगह पर जाने के लिए अनुमति है। लेकिन उस रास्ते से और पानी की जगह पर जाते समय आसपास के जंगल या जमीन हानी पहुँचाने जैसा काम कोई भी न करें। आरक्षित जंगल में आग लगाना, अंगार जलाना या ले जाना, मवेषी चराना, कोई भी पेड़ या लकड़ियाँ काटना, खाल निकालना, टहनियाँ या पन्ने तोड़ना, खदान बनाकर पत्थर, चूना या कोयला निकालना, खेती के लिए जमीन बनाना, शिकार करना आदि कृत्य न करें।

2) संरक्षित जंगल

संरक्षित जंगल में जिन गाँवों को निश्चित किया गया है उन गाँवों के लोग ही अपने-अपने गाँव की सीमा में ही मवेशी चराना, फॉरेस्ट अफसर विज्ञापन निकाले तब ही फल, पान, घास, फूल, कंद निकालें। इस जंगल में भेड़-बकरियों के अलावा अन्य जानवर चराने के लिए ले जाए। परिवार का खर्च चलाने या इंधन के लिए जो लकड़ी लगेगी वह हवा टूटी या सूखी लकड़ियों का उपयोग करें। लेकिन जिस वक्त ऐसी लकड़ियाँ मिलना संभव नहीं है, उस समय गरीब प्रजा फॉरेस्ट अफसर की निगरानी में काटने लायक पेड़ काटने की अनुमति फॉरेस्ट अफसर देंगे। इसप्रकार के नियम बनाए गए थे।

आरक्षित और संरक्षित जंगल का किसी ने नुकसान किया हुआ दिखाई दिया तो इस संदर्भ में कोर्ट संबंधित व्यक्ति को सजा देगा। इसके अलावा और छह महीने जुर्माना या पाँच सौ रुपये जुर्माना या जरूरत पड़ने पर दोनों सजाएँ एक साथ सुनाई जाएगी। इसके साथही गंभीर सजा का प्रावधान भी इस नियम में किया गया था। साथही इस जंगल में नियमों के अनुसार जो हिस्सा बंद रखा गया है, उसमें जो मवेशी अतिक्रमण करेंगे ऐसे मवेशी कांजीहौस में रखने का अधिकार और ऐसे मवेशी मालिक से उचित जुर्माना लेकर छोड़े जाते थे। इतने गंभीर और कड़े प्रावधान इस नियम में किए गए थे। जंगल की सुरक्षा के बारे में जिसप्रकार कड़े नियम बनाए थे, उसीप्रकार एखादं गाँव-कामगार या उस गाँव के व्यक्ति ने जंगल सुधार और बंदोबस्त में अच्छा योगदान देने की बात सामने आयी तो उस व्यक्ति को उस श्रम के मुआवजे के रूप में 50 रुपये की लकड़ियाँ बक्षिस के रूप में देने का नियम भी बनाया गया था। इसी वजह से उस गाँव का गाँवमजदूर या आम जनता भी जंगल सुरक्षा के बारे में जागरुकता दिखाए। उस काल में पर्यावरण के संदर्भ में सूक्ष्मता से अध्ययन कर करवीर संस्थान में जंगल संवर्धन के लिए अलग नियमावली बनाई थी।

4. वनौषधि और बोटैनिकल पार्क को प्रोत्साहन

किसानों ने आम, कटहल, काजू, जामून, चाय, कॉफी, रबड़, बुंदा, चेना, पटसन (ताग), बेलगाँवी आलू, कपास, रेशम इसके साथ ही हिरड़ा, बेहड़ा आदि अनेक प्रकार की वनौषधि वनस्पतियों लगाने पर किसानों के उत्पन्न में वृध्दि होगी, ऐसा महाराज का मत था। 'टैपिओका' इस वनस्पति से साबुदाना तैयार होता है। यह वनस्पति लगाने को किसानों को प्रोत्साहन दिया।

सन् 1894 में मौजे बालिंगा में वनौषधि बाग लगाने के लिए आठ एकड़ जमीन फॉरेस्ट विभाग को सौंपी गई थी। साथ ही कात्यायनी के जंगल परिसर में बोटैनिकल पार्क निर्माण कर सब औषधि वनस्पति लगाई गई थी। साथही इसप्रकार कहीं बोटैनिकलन गार्डन है क्या? यह देखने का अध्यादेश भी महाराजा ने निकाला था। इसके साथ ही हातकणंगले-इचलकरंजी रास्ते के दोनों ओर से पेड़ लगाने के लिए सभी खर्च संस्थान की ओर से किया गया था। सिर्फ यह राशि का उपयोग पेड़ लगाने के लिए किया जाएगा। साथही इस पेड़ को पानी देने के लिए स्वतंत्र आदमी नियुक्ति कर उसको वेतन देने का हुक्म भी महाराजा ने दिया था।

5. पेड़ संवर्धन के संदर्भ में सन् 1900 का घोषणापत्र

महाराजा छत्रपति शाहु ने सन् 1900 में वृक्ष संवर्धन के संदर्भ में करवीर सल्तनत में घोषणापत्र निकाला था। उसमें कहा था कि, रास्ते के किनारे के पेड़, टहनियाँ, पन्ने, मूल, कोंपल आदि जिस विभाग के कब्जे में है उनकी लिखित अनुमति लिए बगैर किसी ने काटने पर या पेड़ वृध्दि नहीं होगी ऐसा कृत्य करने पर उसने यह हुक्म न मानने के कारण वह सजा के लिए पात्र होगा, यह सभी को मालूम होना चाहिए। इसके साथही रास्ते के आदि के किनारे के पेड़ की रक्षा वह पेड़ जिस गाँव की हद में होंगे उस गाँव के लोगों ने तहसील के अधिकारी ने ध्यान देकर करना चाहिए। ऐसा हुक्म निकालें या इस संदर्भ में कोई गड़बड़ी होने पर संबंधितों को जिम्मेदार ठहराए इसप्रकार का अध्यादेश जारी किया। इस हुक्म के अनुसार महाराजा शाहु ने पेड़ संवर्धन और रास्ते के किनारे लगाए पेड़ की ओर ध्यान दिया हुआ दिखाई देता है। कलंबा तालाब का पानी कोल्हापुर शहर में जिस नहर से आता है उस नहर में पेड़ के मूल आए थे। इस संदर्भ में महाराजा शाहु जी कहते हैं, "पेड़ के मूल काँटने पर भी फिर से वे नहर में आएंगे और पेड़ काटने ज्यादा उपयोग नहीं होगा। रास्ते की छाँव खत्म होगी। इसलिए नहर में लोहे की पाईप डालना ज्यादा सुविधाजनक होगा।"सिर्फ इस एक वाक्य से ही स्पष्ट होता है कि पेड़ के महत्त्व के बारे में वे कितनी फिक्र करते थे।

6. जंगल में शिकार करने के लिए परवाना अनिवार्य

जंगल में शिकार के संदर्भ में महाराजाने 12 सितंबर, 1908 को अध्यादेश निकाला था। जंगल में शिकार करने के लिए संबंधित व्यक्ति के पास परवाना अनिवार्य है। इस परवाने का हर साल नविनीकरण करना चाहिए। पहले अनुमति लेकर परवाना निकालकर ही शिकार करें। इसके बाद महाराजा ने 1911 में जंगली-सुअर के शिकार के बारे में दूसरा अध्यादेश निकाला। वह इसप्रकार-'करवीर इलाके में जगह-जगह पर शिकार के उद्देश्य से जंगल में जंगली-सुअर है। वह आसपास के किसानों की फसल में जाकर फसल का नुकसान करते हैं। ऐसे सुअर किसान अपने खेती में सीमा में आने पर बंदुक के सिवाय अन्य साधनों के सहारे मार डालें। सुअर को जंगल में जाकर न मारे।' इसप्रकार की जानकारी सभी किसानों को देने का अध्यादेश जारी किया था। इस आधार पर महाराजा शाहु प्रजा की फसल, पेड़-पौंधों का नुकसान न हो इसकी कितनी फिक्र करते थे, यह समझ में आता है।

7. पर्यावरण संवर्धन की अच्छी पहल याने राधानगरी बांध

कोल्हापुर जिले का जो परिसर 'सुजलाम्-सुफलाम्' दिखाई देता है, इसका प्रमुख कारण राधानगरी बांध का पानी है। यह बांध महाराजा शाहु की कल्पकता, प्रतिभा, लगन का मूर्तिमंत प्रतीक ही है। पूरे कोल्हापुर जिले का चेहरा-मोहरा बदलवाले इस परियोजना की कल्पना महाराजा शाहु को जब वे सन् 1902 में इंग्लंड गए थे तब सुझी थी।

बारिश का पानी बर्बाद हो जाता है। खेती के लिए पानी कम पड़ता है। प्राकृतिक संसाधनों का हम अच्छी तरह से उपयोग नहीं करते। यह बात उनके समझ में आ गई। महाराजा शाहु ने इंग्लंड की औद्योगिक क्रांति का बारीकी से अध्ययन किया। इसीप्रकार से संसाधनों का उपयोग हम क्यों नहीं कर सकते? यह सवाल उनके मन में खड़ा हो गया। इसलिए अप्रैल, 1907 में विशेषज्ञों व्दारा प्रत्यक्ष बांध की जगह का जायजा लिया और 1909 में प्रत्यक्ष राधानगरी बांध के निर्माणकार्य का प्रारंभ हो गया। 1954 को बांध पूरा हो गया। बांध की जल भंडारण क्षमता 8,362 दशलक्ष घनफीट है। इस परियोजना के चलते प्रत्यक्ष 37,831 हेक्टियर जमीन सिंचाई योग्य हो गई है। राधानगरी यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना थी। अफसोस की बात है कि उनके जीवनकाल में यह परियोजना का काम पूरा नहीं हो सका। राधानगरी बांध के चलते पूरे परिसर में जमीन

खेती योग्य बन गई। पीने के पानी की समस्या स्थायी रूप से हल की गई। उनके पर्यावरणसंबंधी दूरदर्शी विचारों की जितनी सराहना की जाय उतनी कम ही है।

8. रंकाला तालाब, पंचगंगा नदी में कपड़े धोने को प्रतिबंध लगाया

कोल्हापुर स्थित पंचगंगा नदी के घाटी पर और नदी में लोग जगह-जगह पर कपड़ेधोते हैं। इससे पानी गंगा हो जाता है। गाड़ियाँ, मवेशी नदी में जाने से पानी गंदा हो जाता है। इसलिए महाराजा ने नदी पर लगाकर पानी बड़ी कड़ाई में निकालकर लोगों को देने का हुक्म निकाला था। मौजे शिरोली स्थित तालाब का पानी लोग गंदा न करें, इसप्रकार का निर्णय भी महाराजा ने 1921 में लिया था। रंकाला तालाब में लोग कपड़े न धोएं इसलिए महाराजा ने रंकाला तालाब के पानी का उपयोग कर दुधाली में कपड़े धोने के लिए पानी की व्यवस्था की। और खेती के लिए रंकाला तालाब के पानी का उपयोग किया। इन दो बातों के लिए रंकाला तालाब के पानी का उपयोग कर प्रदूषण नहीं होगा इसप्रकार नियम करनेवाला और प्रत्यक्ष उसका अमल करनेवाले राजा याने राजर्षि छत्रपति शाहु महाराज है।

9. रियासत के खर्च से जगह-जगह पर तालाबों का निर्माण

महाराजा शाहु ने जिस समय तालाबों का निर्माणकार्य किया उस समय संबंधित तालाबों के लिए ली गई किसानों जमीनें सरकारी कब्जा कर उन लोगों को मुआवजे के रूप में खेती के लिए दूसरी जमीन पहले दी। साथ ही जिन लोगों के घर तालाब क्षेत्र में आए उनको भी पहले मुआवजा दिया था। लोगों समय पर मुआवजा मिले इसप्रकार का प्रावधान उन्होंने किया था। इसप्रकार हुक्म उस समय निकाला गया था।

कलंबा तालाब के निर्माणकार्य के लिए पूरा खर्च सल्तनत की आमदानी से किया गया था। इसी कलंबा तालाब से कोल्हापुर शहर के लिए पाने का पानी लाया गया था। सन् 1885 में कलंबा तालाब में लोग मवेशी धोते हैं, लोग नहाते है, इससे पानी गंदा हो जाता है। कलंबा तालाब का पानी स्वच्छ रहें, इसलिए महाराजा ने सन् 1867 ॲक्ट 7 धारा 39 लागू करने के आदेश दिए।

निष्कर्ष

आज युग में पर्यावरण और जलस्रोत की मानवी जीवन में आवश्यकता और महत्त्व हमारे समझ में आ रहा है। लेकिन तत्कालीन परिस्थिति में महाराजा शाहु ने पर्यावरण के समतोल का महत्त्व जानकर पर्यावरण संवर्धन के लिए विभिन्न प्रभावी उपाययोजना का अंमल किया था। आवश्यक जगहों पर बड़े-बड़े तालाब, कुएँ बनाए, लेकिन जिस जगह पर पुराने तालाब, कुएँ थे उस तालाब और कुएँ से मिट्टी निकालकर उसकी भी सफाई की। इसके साथही तालाब और कुओं की मरम्मत भी की थी। उसकी गहराई बढ़ाने के लिए बहुत खर्च किया था। महाराजा शाहु ने समाज के विकास और उन्नति के लिए अविरत रूप से कार्य किया। इसलिए उन्हें 'लोकराजा' नाम से पहचाना जाता है। उन्होंने सौ साल पहले तत्कालीन दुनिया के आगे दो कदम रख दूरदृष्टि से समाज की उन्नति के लिए महान कार्य किया। महाराजा शाहु ने अपनी सल्तनत में राज्य कारोबार करते जंगल, पेड़-पौधे, तालाब, कुएँ पर ध्यान दिया। उन्होंने जल प्रबंधन के संदर्भ लिए गए निर्णय आज भी हमारे लिए सही अर्थों में दिशादर्शक और प्रेरणादायी हैं।

पादटिप्पणीयाँ

1. करवीर रियासत, (1968), स. मा. गर्गे, राणे प्रकाशन, पुणे।
2. राजर्षि शाहु गौरव ग्रंथ, (1976), संपादक पी. बी. सालुंखे, प्रकाशक महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभाग, सचिवालय, मुंबई।
3. कोल्हापुर जिला (कोल्हापूर जिल्हा), (1989), संपादक कि. का. चौधरी, महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र राज्य गैजेटियर, दर्शनिका विभाग, मुंबई।
4. राजर्षी शाहु गौरव ग्रंथ, (2016), प्रा. डॉ. रमेश जाधव, महाराष्ट्र शासन, राजर्षी शाहु चरित्र साधने प्रकाशन समिती, मंत्रालय मुंबई, 400021, संशोधित तीसरा संस्करण।
5. राजर्षी श्री शाहु का अंतरंग (राजर्षी श्री शाहू यांचे अंतरंग), (1963), वा. द. तोफखाने, महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार, प्रथम संस्करण।
6. शिक्षण महर्षी राजर्षि शाहु महाराज (शिक्षण महर्षी राजर्षी शाहू महाराज), (1999), प्राचार्य रा. तु. भगत, सिध्दराज प्रकाशन, पुणे।
7. शाहुजी की यादें (शाहूंच्या आठवणी), (2006), संपादक प्रा. नानासाहेब सालुंखे, वृषाली प्रकाशन कोल्हापुर।
8. आर्थिक विचारों का इतिहास (आर्थिक विचारांचा इतिहास), डॉ. विश्वास कदम, नक्ष प्रकाशन, औरंगाबाद।